



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 14 नवम्बर, 2024

थाना अरनिया

ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 15.8 किलोग्राम तांबे का तार, मोटर के पार्ट्स, 10,200/- रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल रेडी व 02 अवैध चाकू आदि बरामद।

जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 13.11.2024 की रात्रि में थाना अरनिया पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर बिजली घर पुराने खण्डर के पास से 05 शातिर चोरो को चोरी किये गये तांबे के तार, मोटर के पार्ट्स, नकदी, घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिल रेडी व अवैध चाकू आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 343/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 व मुअसं- 344/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- अनवार पुत्र एनुल निवासी पोखर के पास नुमाईश ग्राउंड सरकारी अस्पताल थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
- 2- सदरुल पुत्र एनुल निवासी उपरोक्त।
- 3- सलमान पुत्र एनुल निवासी उपरोक्त।
- 4- अजबुल पत्नी सदरुल निवासी उपरोक्त।
- 5- रुकसाना पत्नी बदरुल निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1. 15.8 किलोग्राम तांबे का तार
2. मोटर के पार्ट्स
3. 10,200/- नकद
4. 02 मोटर साईकिल रेडी (घटना में प्रयुक्त)
5. 02 अवैध चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा शातिर किस्म के चोर है जो रात्रि के समय जनपद अलीगढ़ के गभाना से जनपद बुलन्दशहर के सीमा में आकर ट्यूबवेल की मोटर के तार चोरी करने की घटना कारित करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21.09.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम घटाल नगलिया उदयभान व ऊंचा गांव की ट्यूबवेलों से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 282/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.09.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कमालपुर की ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 283/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.09.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कमालपुर की ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 284/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 11.10.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ऊंचा गांव की ट्यूबवेलों से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 302/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23.10.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत नगलिया उदयभान की ट्यूबवेलों से मोटर तार चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 318/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 18.08.2024 की रात्रि में थाना अरनिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिसौटी व गंगावल में निर्माणाधीन पानी की टंकी के प्लांट में लगी सोलर प्लेट चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना अरनिया पर मुअसं- 243/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त अनवार का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 401/18 धारा 379/411 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
2. मुअसं- 16/22 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना गभाना जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 36/22 धारा 394/411 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
4. मुअसं- 56/22 धारा 392/411 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
5. मुअसं- 68/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
6. मुअसं- 73/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
7. मुअसं- 87/22 धारा 414 भादवि थाना गभाना जनपद अलीगढ़।
8. मुअसं- 283/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 284/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 243/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 382/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 302/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

13. मुअसं- 318/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
14. मुअसं- 327/21 धारा 379/411 भादवि थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
15. मुअसं- 343/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सदरुल का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 456/23 धारा 323/376(2)(च)/506 भादवि थाना गभाना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 283/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 284/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 243/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 382/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 302/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 318/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 344/24 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान, अभियुक्ता अजबुल व रुकसाना का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 283/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 284/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 243/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 382/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 302/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 318/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. श्री पम्मी चौधरी थाना प्रभारी अरनिया
2. उ०नि० केदार नाथ राय, उ०नि० सुनील कुमार, उ०नि० सौरभ कुमार
3. है०का० सुबेराम नागर, का० विष्णु, का० ललित
4. सर्विलांस टीम बुलंदशहर



मीडिया सेल बुलंदशहर